न्यायाधीश श्री रंजीत सिंह के समक्ष

हवा सिंह और एक अन्य-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य -उत्तरदाता

C.W.P No. 11653 सन् 2008
12 जनवरी, 2011

भारत का संविधान 1950,अनुच्छेद- 226-पुलिस अभिरक्षा में कुछ गोलियों के सेवन के कारण दो व्यक्तियों की मृत्यु-पुलिस अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही का पता लगाने की जांच-पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु-बोझ हमेशा राज्य पर होता है कि वह यह बताए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी मृत्यु का कारण क्या है-मुआवजे के पुरस्कार के लिए दावा-मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपचार का सहारा लेकर किए गए सख्त दायित्व पर आधारित ऐसा दावा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप अत्याचार के लिए निजी कानून में उपचार से अलग और इसके अलावा है।- रुपये की राशि प्रदान करते समय अनुमत याचिकाएं। प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ताओं को 5 लाख।

अभिनिर्णित किया कि पुलिस हिरासत में रहते हुए दोनों व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। इसलिए, यह किसी भी तरह से गंभीर रूप से विवादित या बहस का विषय नहीं था। एक बार जब मृतकों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया तो यह पुलिस की जिम्मेदारी थी।
उन दोनों की मौत जहर के कारण हुई है, जिसके लिए केवल मृतक व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिर भी, पुलिस को सबसे लापरवाही से काम करने की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों मृतक की मृत्यु मृतक में से किसी एक द्वारा आपूर्ति की गई कुछ गोलियों के सेवन के कारण हो सकती है, लेकिन वह इन्हें कैसे प्राप्त कर सकता था, यह किसी भी तरह से समझाया नहीं गया है। एक गंभीर व्यक्ति जवाब मांगेगा कि इन बंदियों को ये गोलियां कहाँ से मिलीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह आत्महत्या है या हत्या। मामला चाहे जो भी हो, पुलिस को अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पुलिस हिरासत में रहते हुए दो लोगों की मौत हो गई है। उन्हें सुरक्षित रखना और उनके जीवन की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। इसलिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं।
आगे कहा गया कि एक बार जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह बताने का बोझ हमेशा राज्य पर होता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी मृत्यु का कारण क्या है। न्यायालय ने कहा है कि संवैधानिक अधिकार का प्रवर्तन और निवारण का अनुदान इसके उल्लंघन के कानूनी परिणामों के हिस्से के रूप में मुआवजे के पुरस्कार को शामिल करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन प्रतिकर का अधिनिर्णय सार्वजनिक विधि में उपलब्ध एक उपचार है जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व पर आधारित है, जिसके लिए संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, भले ही यह अपकृत्य पर आधारित कार्रवाई पर निजी विधि में प्रतिरक्षा के रूप में उपलब्ध हो। इस प्रकार, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए मुआवजे के लिए सार्वजनिक कानून में दावा, जिसके संरक्षण की गारंटी संविधान में दी गई है, ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए एक स्वीकृत उपाय है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपचार का सहारा लेकर किए गए सख्त दायित्व पर आधारित ऐसा दावा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप यातना के नुकसान के लिए निजी कानून में उपचार से अलग और इसके अलावा है।

(Para 16)

जगबीर मलिक, याचिकाकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।
प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 और 7 के लिए सुश्री श्रुति जैन, एएजी, हवाना।

एस. एस. संधू, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी नं. 5 के लिए

आदेश

न्यायाधीश रणजीत सिंह

(1) दो सिविल रिट याचिका संख्या 11653 सन् 2008 का(हवा सिंह और दूसरा बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) और 2010 का 65 (गीता बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए दो व्यक्तियों की हिरासत में मौत के लिए मुआवजे का दावा करने के लिए तैयार किया गया है और दोनों की हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो गई है और तदनुसार एक मामले में मृतक के माता-पिता और दूसरे मृतक की विधवा ने न केवल इन हिरासत में हुई मौतों की जांच करने के लिए बल्कि मुआवजे के अनुदान के लिए भी इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।
(2) इस प्रकार, इन मामलों में लोक विधि कार्यवाहियों द्वारा मुआवजे के अधिनिर्णय का मुद्दा उत्पन्न होगा।

(3) याचिकाकर्ताओं के 16 वर्ष के पुत्र वीरेंद्र कुमार (सिविल रिट याचिका सं 1165.3 सन् 2008 के कथित तौर पर हरियाणा फिल्मों में काम करने वाले एक कलाकार थे। आरोप के अनुसार, वीरेंद्र कुमार को 11 अगस्त, 2007 को 11.30 A.M. पर अवैध रूप से उठाया गया था। 13 अगस्त, 2007 को P.G.I., चंडीगढ़ में उनका निधन हो गया। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार, उनकी मौत का कारण 'सेलफोस' का सेवन था।

(4) याचिकाकर्ताओं को उनके बेटे की गिरफ्तारी के बारे में कोई सूचना नहीं दी गई थी।
याचिकाकर्ता नं. 1 को इसके बारे में 15 अगस्त, 2007 को पता चला। इसके बाद वह 16 अगस्त, 2007 को तत्कालीन A.D.C., कैथल के कार्यालय गए और उन्हें पता चला कि उनके बेटे की P.G.I में मृत्यु हो गई थी। 13 अगस्त, 2007 को। याचिकाकर्ताओं ने मौत के कारण का पता लगाने के लिए मामले की जांच करने का अनुरोध किया और प्रतिवादी नं। 2 10 सितंबर, 2007 को। याचिकाकर्ताओं की शिकायत होगी कि हिरासत में हुई इस मौत की जांच के उनके अनुरोध पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया। बल्कि इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

(5) याचिकाकर्ताओं ने अपने बेटे की मृत्यु के लिए उचित रूप से तथ्यों का खंडन नहीं किया है। हो सकता है, यह वकील ही हो जो इस संबंध में थोड़ा विस्तृत हो सकता था।
हालांकि, 1 जुलाई, 2008 को जारी प्रस्ताव के नोटिस के जवाब में दायर जवाब की सामग्री से कुछ विवरण सामने आएंगे। बेशक, इन विवरणों को पुलिस के दृष्टिकोण से पेश किया जाता है। जवाब में, अतिरिक्त उपायुक्त, कैथल द्वारा की गई जांच और उनके द्वारा 8 अगस्त, 2008 को उपायुक्त को सौंपी गई रिपोर्ट का संदर्भ दिया गया है। यह रिपोर्ट इस न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर रिकॉर्ड पर रखी गई थी। जाहिरा तौर पर, इस अदालत ने जांच से देखा था कि याचिकाकर्ता के बेटे को निर्दयता से पीटा गया था। दो दिन तक पुलिस रही और 13 अगस्त, 2007 को उसकी मृत्यु हो गई, जब वह पुलिस हिरासत में था। 2005 में अधिनियम में अंतःस्थापित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1 ए) का उल्लेख करने के बाद, इस न्यायालय ने न्यायिक मजिस्ट्रेट या मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा पुलिस हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जांच करने की कानूनी आवश्यकता पर ध्यान दिया था, जिसके स्थानीय अधिकार क्षेत्र में अपराध किया गया है। यह देखते हुए कि ऐसी कोई जांच नहीं की गई थी, अदालत ने उचित समझा कि सत्र न्यायाधीश, कैथल को न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाए। न्यायालय ने इस संबंध में 12 नवंबर, 2008 को निम्नलिखित आदेश पारित किया:-"याचिकाकर्ता एक वरिंदर कुमार के माता-पिता हैं जिन्हें 1 अगस्त, 2007 को गिरफ्तार किया गया था। यह याचिकाकर्ता का मामला है कि याचिकाकर्ताओं के बेटे को पुलिस ने दो दिनों तक बेरहमी से पीटा और 13 अगस्त को उसकी मृत्यु हो गई। 2007, जब पुलिस हिरासत में। प्रतिवादियों के अनुसार, याचिकाकर्ता के बेटे की मृत्यु सेलफोस की गोलियों का सेवन करने से हुई, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जाता है कि वरिंदर सिंह पुलिस की हिरासत में थे, जब उनकी मृत्यु हुई।
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 (1 क) के संदर्भ में। 1973 (इसके बाद 'Cr.PC.' के रूप में संदर्भित, अधिनियम सं 25 सन् 2005 का, यदि न्यायालय के आदेश के अधीन पुलिस की अभिरक्षा में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो न्यायिक मजिस्ट्रेट या महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जाएगी, जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर अपराध किया गया है। स्वीकार्य रूप से, Cr.P.C की धारा 176 (1A) के संदर्भ में एक जांच। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा संचालित नहीं किया गया है। इसलिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम कैथल के विद्वान सत्र न्यायाधीश, जिनके अधिकार क्षेत्र में मृतक को हिरासत में रखा गया था, को मामले की न्यायिक मजिस्ट्रेट से जांच कराने और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित समझते हैं।
विद्वत सत्र न्यायाधीश अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए जांच को चिह्नित करेगा। पक्षकार 12 जनवरी, 2009 को विद्वान सत्र न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित होंगे। आगे की कार्यवाही के लिए, मामले को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

(6) जांच रिपोर्ट विधिवत रूप से 28 अप्रैल, 2010 को प्रस्तुत की गई थी। इसकी प्रतियाँ वकील को प्रदान की गईं और पक्षों के वकील को सुना गया।

(7) सिविल रिट याचिका सं। 2010 का 65 गीता द्वारा दर्ज किया गया है, जिसके पति को पुलिस ने 13 अगस्त, 2007 को उठाया था। गीता के दिवंगत पति और स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह (सिविल रिट याचिका नं. 2008 के 11653) की पुलिस की हिरासत में रहते हुए मृत्यु हो गई है। याचिकाकर्ता गीता का कहना है कि पुलिस ने अपनी अवैध कार्रवाई को छिपाने के लिए उसके पति और वीरेंद्र सिंह के खिलाफ एफआईआर नं. 184. दिनांक 10 अगस्त, 2007 को आईपीसी की धारा 392/34 के तहत। इस एफआईआर में रुपये छीनने का आरोप लगाया गया है। 7.000 अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ बनाया गया था। पुलिस ने अपनी कार्रवाई को छिपाने के लिए 13 अगस्त, 2007 को धारा 307,309 आईपीसी के तहत इस आरोप के साथ एक और प्राथमिकी दर्ज की थी कि याचिकाकर्ता के पति और वीरेंद्र सिंह ने पुलिस हिरासत में रहते हुए एक-दूसरे को जहरीला पदार्थ पिलाया था। एक जांच का संदर्भ दिया जाता है, जिसे सरकार द्वारा शुरू किया गया था, जब क्षेत्र के निवासियों ने विरोध किया था। यह अतिरिक्त उपायुक्त द्वारा की गई जांच है, जिन्होंने एक रिपोर्ट दी है, जिसमें याचिकाकर्ता के पति और वीरेंद्र सिंह की हिरासत में हुई मौतों के लिए पुलिस अधिकारियों को आरोपित किया गया है। जब कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो याचिकाकर्ता ने अपने पति की हिरासत में मौत के लिए मुआवजे की मांग करने के लिए यह रिट याचिका दायर की है और दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है।
(8) चूंकि इन दो रिट याचिकाओं में तथ्य और कानून का सामान्य प्रश्न उत्पन्न हो रहा है, इसलिए उन्हें एक साथ सुनने और इस सामान्य आदेश के माध्यम से निपटाने का आदेश दिया गया था।
(9) सिविल रिट याचिका संख्या में उत्तर से उत्तरदाताओं के रुख पर ध्यान दिया गया। 2008 का 11653 यह है कि याचिकाकर्ताओं का पुत्र प्राथमिकी सं. 184, दिनांक 10 अगस्त, 2007 को भारतीय दंड संहिता की धारा 392/34 और शस्त्र अधिनियम के प्रावधानों के तहत। उन्हें एस. एच. ओ. धरम सिंह ने 13 अगस्त, 2007 को गिरफ्तार किया था। हवा सिंह के बेटे कुलदीप सिंह को गिरफ्तारी की सूचना दी गई। मृतक, वीरेंद्र सिंह से गाँव मनाना में पूछताछ की गई, जब उसने कथित रूप से एक खुलासा बयान दिया। इसके बाद स्वर्गीय वीरेंद्र सिंह को पुलिस स्टेशन, पुंड्री लाया गया। इस आशय की प्रविष्टियाँ दैनिक डायरी रजिस्टर में भी की गईं और वीरेंद्र सिंह को पुलिस हवालात में डाल दिया गया। तब यह पता चलता है कि पुलिस स्टेशन में पुरुषों के लिए केवल एक ताला है। वीरेंद्र सिंह के साथ एक सतनाम को भी बंद कर दिया गया था। 9 A.M. पर, वीरेंद्र सिंह और सतनाम, दोनों को उल्टी होने लगी। इस संबंध में एक डीडीआर भी दर्ज किया गया था। उन्हें तुरंत तालाबंदी से हटा दिया गया और कैथल के एक निजी अस्पताल शाह में स्थानांतरित कर दिया गया। इस निजी अस्पताल में मरीजों की देखभाल करने वाले डॉक्टर ने सलाह दी कि वीरेंद्र और सतनाम की हालत गंभीर है। एस. एच. ओ. धरम सिंह ने वीरेंदर का बयान दर्ज करने के लिए इलाखा मजिस्ट्रेट के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जो किया गया। वीरेंद्र पर आरोप है कि उसने मजिस्ट्रेट के सामने कहा कि उसे इस मामले में एक लाडा ने फंसाया था, जिसने उसे डेढ़ गोलियां पिलाई थीं। सतनाम को कोई भी बयान देने के लिए अयोग्य पाया गया।
दोनों को P.G.I. के लिए संदर्भित किया गया था, जहां वीरेंद्र सिंह की मृत्यु 4.40 P.M. पर हुई थी। तदनुसार यह कहा गया है कि उक्त वीरेंद्र सिंह और सतनाम की मृत्यु पुलिस की ओर से किसी लापरवाही या यातना के कारण नहीं हुई है।
(10) जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, इस सहजता में दो पूछताछ की गई हैं। A.D.C. द्वारा की गई जांच का एक अवलोकन। यह दिखाएगा कि उसने पुलिस स्टेशन के रिकॉर्ड को तलब किया था और विभिन्न पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज किए थे, जो इस मामले में शामिल पाए गए थे। I-laving ने FIR का उल्लेख किया, जिसमें मृतकों को गिरफ्तार किया गया था, A.D.C. उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सतनाम और वीरेंद्र सिंह की मौत हिरासत में हुई मौत थी। इस कहानी पर टिप्पणी करते हुए कि ये गोलियां सतनाम द्वारा वीरेंद्र सिंह को दी गई थीं, जांच में पाया गया है कि सतनाम को एएसआई वजीर सिंह और कुछ अन्य कांस्टेबलों ने गिरफ्तार किया था, जिन्होंने उसकी तलाशी लेने के बाद उसे हवालात में रखा था। A.D.C. इस प्रकार, उचित रूप से सवाल किया गया है कि ये गोलियाँ कहाँ से थीं। इस प्रकार, प्रकट हुआ। इसलिए, उन्होंने माना है कि तलाशी ठीक से नहीं ली गई थी या गोलियां किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा आरोपी को दी गई थीं। A.D.C. इस प्रकार, सभी सदस्यों को अपने कर्तव्यों का पालन करते समय लापरवाही के लिए जिम्मेदार ठहराया है।
एसएचओ धरम सिंह ने 13 अगस्त, 2007 को 2.15 A.M. पर वीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी दिखाकर सिस्टम को गुमराह किया था। रिकॉर्ड के अनुसार, वीरेंद्र सिंह को 7.00 A.M पर उनकी तलाशी के बाद लॉक अप में रखा गया था। छापा मारने वाला दल तब 4-5 A.M. पर आरोपी सतनाम की जांच करने के लिए आगे बढ़ा था, जबकि वीरेंद्र जे सिंह के रिश्तेदारों का संस्करण यह है कि उसे 11 अगस्त, 2007 को पुलिस स्टेशन में पेश किया गया था।
यह देखा गया है कि 7.00 A.M. पर रेड पार्टी की वापसी और 4-5 A.M. पर दूसरे पक्ष के प्रस्थान का मिलान नहीं किया जा सकता है।

(11) तब इस न्यायालय के आदेशों के तहत न्यायिक जांच का पालन किया गया था।
शिकायतकर्ता हवा सिंह की ओर से न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा गवाहों से पूछताछ की गई। याचिकाकर्ता हवा सिंह ने विस्तृत पृष्ठभूमि दी है कि कैसे पुलिस अधिकारी 2 अगस्त, 2007 को उनके आवास पर आए थे और एक मोटरसाइकिल के बारे में पूछताछ की थी। पुलिस ने हवा सिंह को अपने बेटे वीरेंद्र को पेश करने के लिए कहा था। 8 अगस्त, 2007 को, गांव के पंच, आई लारी राम, लीला और एक अन्य व्यक्ति, जिसका वाहन

काम पर रखा गया, फिर से धरम सिंह से मिला, जिसने शिकायतकर्ता को धमकी दी और इस पृष्ठभूमि में, उसने 11 अगस्त, 2007 को अपने बेटे को पेश किया, जब वह हरि राम, पंच और लीला के साथ था। आरोप के अनुसार, एसएचओ ने रुपये की राशि की मांग की। वीरेंद्र सिंह को छोड़ने के लिए 20,000। इसके बाद, याचिकाकर्ता नं. 1 को 13 अगस्त, 2007 को पता चला कि उसका बेटा पीजीआई, चंडीगढ़ में भर्ती है, जिसके बारे में उसने धरम सिंह से पूछताछ की, जिसका टेलीफोन नंबर उसके पास पहले से था। शिकायतकर्ता तब चंडीगढ़ आया और उसे पता चला कि उसका बेटा पहले ही मर चुका है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि पोस्टमॉर्टम के दौरान वीरेंद्र के शरीर पर निम्नलिखित चोटें देखी गईं: -

(1) मध्य रेखा में निचले होंठ के आंतरिक और ऊपरी पहलू पर 2.1 * 0.8 सेमी आकार के बीच में फीके क्षेत्र के साथ लाल पपड़ी के साथ घर्षण मौजूद था।

(2) मध्य रेखा में ठोड़ी की नोक के 1 सेमी दाएं पार्श्व पर 1 x 0.6 सेमी आकार के लाल स्कैप के साथ घर्षण।

(3) 1.8 x 0.1 सेमी आकार के लाल रंग के स्कैप के साथ एक रैखिक घर्षण देखा गया, 0.4 सेमी नीचे और 0.2 सेमी बाहरी चोट नं। 2.

(4) डाई मिडलाइन में बाएं तलवे के पीछे के छोर पर 6x4 सेमी आकार के बीच में फीके क्षेत्र के साथ लाल रंग का संदूषण मौजूद था।

(5) मध्य रेखा में दाहिने तलवे के पीछे के छोर पर 6x 4.6 सेमी आकार के बीच में फीके क्षेत्र के साथ लाल रंग का संदूषण मौजूद था।

(6) दाहिने अंगूठे के दूरस्थ छोर के आंतरिक पहलू पर 1.9 x 0.9 सेमी आकार का लाल रंग का संदूषण मौजूद था।

(7) दाहिनी छोटी उंगली के दूरस्थ छोर के आंतरिक पहलू पर 1.3 x 0.8 सेमी आकार का लाल रंग का संदूषण मौजूद था।

(12) मजिस्ट्रेट ने तदनुसार विभिन्न गवाहों के बयानों का विश्लेषण किया था जिनकी उन्होंने जांच की थी और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का विश्लेषण किया था और पाया था कि सतनाम को हवालात में रखने से पहले उसकी खोज के बारे में पुलिस गवाहों का बयान स्वयं विरोधाभासी है। जांच रिकॉर्ड के अनुसार, एएसआई वजीर सिंह ने सतनाम के साथ दो बाहरी लोगों की निजी बैठक की अनुमति दी है, लेकिन पुलिस यह नहीं बता सकी कि यह बैठक किस उद्देश्य के लिए आयोजित की गई थी। क्या यह एक तथ्य है या जांच को गुमराह करने की चाल है?
ऐसा लगता है कि इसका पता लगाने के लिए कोई प्रयास नहीं किए गए हैं। किसी भी मामले में, यह पुलिस अधिकारियों की ओर से घोर लापरवाही का कार्य पाया गया। तदनुसार पुलिस को बंदियों की देखभाल करने के अपने कर्तव्यों में पूरी तरह से विफल पाया गया, जिसके परिणामस्वरूप उनकी मौत हो गई।

(13) मजिस्ट्रेट ने 13 अगस्त, 2007 को 2.15 A.M. पर स्वर्गीय वीरेंद्र की गिरफ्तारी दिखाने में पुलिस की कार्रवाई में भी गलती पाई, जबकि उसे 7 A.M. पर लॉक अप में रखा गया था। एसएचओ ने छापेमारी करने वाले दल के साथ मिलकर आरोपी सतनाम को 4/5 A.M. पर गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ाया था, जो तथ्य संदिग्ध प्रकृति का पाया गया था। पहले पक्ष के पुलिस स्टेशन लौटने और दूसरे पक्ष द्वारा पुलिस स्टेशन छोड़ने के समय का मिलान नहीं पाया गया है। फिर एक स्पष्ट संस्करण है कि स्वर्गीय वीरेंद्र को 11 अगस्त, 2007 को पुलिस स्टेशन में पेश किया गया था। धरम सिंह। इस प्रकार, एस. एच. ओ. को व्यवस्था को गुमराह करते हुए पाया गया और उसे इसके लिए जिम्मेदार पाया गया है।

(14) तथ्यात्मक स्थिति से, जैसा कि यह दोनों पूछताछों और उत्तरदाताओं के रुख से भी सामने आएगा, यह स्पष्ट रूप से स्थापित है कि दोनों व्यक्तियों की मृत्यु पुलिस हिरासत में रहते हुए हुई थी। इसलिए, यह मेरे सामने किसी भी तरह से गंभीर रूप से विवादित या बहस नहीं था। एक बार जब मृतकों को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया तो यह पुलिस की जिम्मेदारी थी। उन दोनों की मौत जहर के कारण हुई है, जिसके लिए केवल मृतक व्यक्तियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। फिर भी, पुलिस को सबसे लापरवाही से काम करने की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों मृतक की मृत्यु मृतक में से किसी एक द्वारा आपूर्ति की गई कुछ गोलियों के सेवन के कारण हो सकती है, लेकिन वह इन्हें कैसे प्राप्त कर सकता था, यह किसी भी तरह से समझाया नहीं गया है। एक गंभीर व्यक्ति जवाब मांगेगा कि इन बंदियों को ये गोलियां कहां से मिलीं। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि यह आत्महत्या है या हत्या। मामला चाहे जो भी हो, पुलिस को अपनी लापरवाही की जिम्मेदारी से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। पुलिस हिरासत में रहते हुए दो लोगों की मौत हो गई है ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके और उनके जीवन की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी थी। इसलिए पुलिस अधिकारी जिम्मेदार हैं।

(15) अगला प्रश्न यह होगा कि क्या इन अभिरक्षा में हुई मौतों के लिए मुआवजा दिया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन कार्यवाहियों में उच्चतम न्यायालय द्वारा या संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन कार्यवाहियों में उच्च न्यायालय द्वारा मुआवजे का अधिनिर्णय कठोर दायित्व के आधार पर सार्वजनिक विधि में उपलब्ध एक उपाय है, अब तक उचित रूप से तय किया गया है। जैसा कि नीलाबती बेहरा (उच्चतम न्यायालय कानूनी सहायता समिति के माध्यम से) बनाम उड़ीसा राज्य और अन्य में देखा गया है (1) सार्वजनिक विधि कार्यवाहियों में प्रतिकर का उद्देश्य निजी अपकृत्य विधि कार्रवाई में प्रतिकर से भिन्न है। राज्य के साधनों या उसके कर्मचारियों द्वारा किसी व्यक्ति के किसी भी मौलिक अधिकार के उल्लंघन के मामले में, न्यायालय राज्य को पीड़ित या उसके उत्तराधिकारियों को मौद्रिक संशोधन और निवारण के माध्यम से मुआवजा देने का निर्देश दे सकता है। यह देखा गया है कि ऐसे मामलों में संप्रभु प्रतिरक्षा का सिद्धांत लागू नहीं होता है और यह उपचार निजी कानून उपचार से अलग है। एक बार अभिरक्षा में मृत्यु स्थापित हो जाने के बाद, मृतक की आयु और उसकी मासिक आय को ध्यान में रखते हुए, राज्य को कुछ मापदंडों को अपनाकर मुआवजे का भुगतान करने का निर्देश दिया जा सकता है और ये उपलब्ध हो सकते हैं जैसा कि मोटर वाहन अधिनियम के तहत लागू होते हैं।

(16) यह देखा जा सकता है कि लोक विधि कार्यवाही के अधीन। न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों से वंचित होने के मामले में निवारण प्रदान करने के लिए नए उपकरण और मोल्ड उपाय विकसित कर सकता है। सार्वजनिक विधि कार्यवाहियां निजी विधि कार्यवाहियों से भिन्न होती हैं और भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अधीन मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए कार्यवाहियों में क्षतिपूर्ति का अधिनिर्णय सार्वजनिक विधि में उपलब्ध एक उपाय है। दोषियों, कैदियों और विचाराधीन कैदियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत अधिकार है और राज्य का यह सुनिश्चित करना सख्त कर्तव्य है कि पुलिस या जेल की हिरासत में एक नागरिक कानून के अनुसार छोड़कर अनुच्छेद 21 के तहत अपने अधिकार से वंचित न हो। एक बार जब किसी व्यक्ति को पुलिस हिरासत में ले लिया जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो यह बताने का बोझ हमेशा राज्य पर होता है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई और उसकी मृत्यु का कारण क्या है। न्यायालय ने कहा है कि संवैधानिक अधिकार का प्रवर्तन और निवारण का अनुदान इसके उल्लंघन के कानूनी परिणामों के हिस्से के रूप में मुआवजे के पुरस्कार को शामिल करता है। संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के तहत मुआवजे का अधिनिर्णय सार्वजनिक कानून में उपलब्ध एक उपाय है, जो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए सख्त दायित्व पर आधारित है, जिसके लिए संप्रभु प्रतिरक्षा दस्तावेज का सिद्धांत लागू नहीं होता है, भले ही यह यातना पर आधारित कार्रवाई पर निजी कानून में बचाव के रूप में उपलब्ध हो। इस प्रकार, मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं के उल्लंघन के लिए मुआवजे के लिए सार्वजनिक कानून में दावा, जिसके संरक्षण की गारंटी संविधान में दी गई है, ऐसे अधिकारों के प्रवर्तन और संरक्षण के लिए एक स्वीकृत उपाय है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रदान किए गए संवैधानिक उपचार का सहारा लेकर किए गए सख्त दायित्व पर आधारित ऐसा दावा, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप, यातना के लिए नुकसान के लिए निजी कानून में उपचार से अलग और इसके अलावा है।
(17) रुदल साह बनाम बिहार राज्य (2) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत एक याचिका में, सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों से वंचित होने के लिए मुआवजा दे सकता है। मैंने यह मत व्यक्त किया कि अनुच्छेद 32 उन अधिकारों और दायित्वों के प्रवर्तन का विकल्प नहीं हो सकता है जिन्हें अदालतों, दीवानी या आपराधिक की सामान्य प्रक्रिया के माध्यम से लागू किया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि व्यक्ति के पक्ष में मुआवजे का आदेश पारित करने से इनकार करना उसके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के लिए जुबानी सेवा करना होगा, जिसका राज्य सरकार ने घोर उल्लंघन किया है। अनुच्छेद 21 के अनुसार जो जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यदि न्यायालय की शक्तियां अवैध निरोध से रिहाई के आदेश पारित करने तक सीमित थीं, तो इसकी महत्वपूर्ण सामग्री से वंचित किया जाएगा। जैसा कि देखा गया है, उन तरीकों में से एक है जिसमें अधिकार के उल्लंघन को उचित रूप से रोका जा सकता है और कला के जनादेश का उचित अनुपालन किया जा सकता है। सुरक्षित, मुआवजे के भुगतान में अपने उल्लंघनकर्ताओं को ढालने के लिए है।

(18) इस संबंध में सार्वजनिक विधि कार्यवाहियों में प्रतिकर प्राप्त करने के अधिकार को मान्यता देने वाले निर्णयों पर ध्यान दिया जा सकता है। इस प्रकार सेबेस्टियन एम. आई. लॉन्गरे बनाम भारत संघ (आई) सेबेस्टियन एम. होंगरे बनाम भारत संघ (II), भिनी सिंह बनाम जेएके राज्य सहकलीः एक महिला संसाधन केंद्र बनाम पुलिस आयुक्त, दिल्ली पुलिस मुख्यालय और महाराष्ट्र राज्य बनाम रविकांत एस. पाटिल में आयोजित किया गया था।

(19) सेबेस्टियन एम. होंगरे (आई) की सहजता (सुप्राज) में। यह संकेत दिया गया था कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट के लिए एक याचिका में, यह स्पष्ट रूप से प्रतिवादियों पर बोझ था कि वे अदालत द्वारा जारी नोटिस के जवाब में प्रतिवादियों के सकारात्मक रुख को अच्छा बनाने के लिए उठाए गए रुख का सबूत पेश करें, जब यह दिखाया जाता है कि हिरासत में लिया गया व्यक्ति आखिरी बार हिरासत में लिए गए प्राधिकरण की निगरानी, नियंत्रण और आदेश के तहत जीवित देखा गया था। सेबेस्टियन एम. हंगरी (एलएल) के ईज (उपरोक्त) में गुमशुदा व्यक्तियों को इस निष्कर्ष पर पेश करने में विफल रहने पर कि वे जीवित नहीं थे और एक अप्राकृतिक मृत्यु के साथ मिले थे, हिरासत में लेने वाले प्राधिकरण को अनुकरणीय लागत प्रदान

की गई थी। भीम सिंह के मामले में (उपर्युक्त) पुलिस अभिरक्षा में अवैध निरोध को संविधान के अनुच्छेद 21 और 22 के तहत अधिकारों का उल्लंघन माना गया था और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य को अनुकरणीय लागत के रूप में मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश देते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया था। सहेली के मामले (ऊपर) में राज्य को मृतक की माँ को मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था, जिसकी पुलिस द्वारा पिटाई और अपमान के परिणामस्वरूप मृत्यु हो गई थी। उसमें इंगित सिद्धांत यह था कि राज्य अपने कर्मचारियों के यातनापूर्ण कृत्य के लिए जिम्मेदार था। रविकांत एस. पाटिल के मामले में (supra). उच्च न्यायालय ने एक विचाराधीन कैदी के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा दिया है, जिसे जांच के दौरान पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर सड़कों पर जुलूस में ले जाया गया था।

(20) इसी तरह का मुद्दा उठा और महाराज बनाम त्रिनिदाद और टोबैगो के अटॉर्नी जनरल में निर्णय लिया गया, यह मामला त्रिनिदाद और टोबैगो के संविधान की धारा 6 से संबंधित है। 1962, मानव अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रताओं से संबंधित अध्याय में। धारा 6 में निवारण के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन का प्रावधान किया गया है। सवाल यह था कि क्या प्रावधान मौद्रिक मुआवजे के आदेश की अनुमति देता है। एक तर्क उठाया गया था कि मुआवजे के भुगतान का आदेश उस अधिकार के प्रवर्तन के बराबर नहीं था जिसका उल्लंघन किया गया था।
इसे स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया गया था। यह अभिनिर्धारित किया गया था कि मुआवजे के भुगतान का आदेश, जब संरक्षित अधिकार का उल्लंघन किया गया है, स्पष्ट रूप से निवारण का एक रूप है, जिसे एक व्यक्ति धारा 6 के तहत दावा करने का हकदार था और निवारण का एकमात्र व्यावहारिक रूप हो सकता है। लॉर्ड डिप्लॉक ने बहुमत निर्णय देते हुए अभिनिर्धारित किया कि ऐसा आदेश देने की अधिकारिता उच्च न्यायालय को, अर्थात् धारा 6 की उपधारा (1) के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी आवेदन को सुनने और निर्धारित करने की अधिकारिता प्रदान की गई है और आदेश देने, रिट जारी करने और निर्देश देने की बहुत व्यापक शक्ति इसके सहायक हैं। लॉर्ड डिप्लॉक ने आगे इस प्रकार बात कीः-अंत में, उनके लॉर्डशिप धारा 6 के तहत वसूली योग्य मौद्रिक मुआवजे के उपाय के बारे में कुछ कहेंगे, जहां दावेदार के संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन में कानून की उचित प्रक्रिया के अलावा स्वतंत्रता से वंचित होना शामिल है। दावा निजी कानून में झूठे कारावास के अत्याचार के लिए हर्जाने का दावा नहीं है, जिसके तहत वसूली योग्य हर्जाने बड़े पैमाने पर हैं और इसमें प्रतिष्ठा के नुकसान के लिए हर्जाने शामिल होंगे। यह सार्वजनिक कानून में केवल स्वतंत्रता से वंचित होने के मुआवजे का दावा है।

(21) इस दृष्टिकोण को भागलपुर ब्लाइंडिंग मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से स्पष्ट समर्थन मिलेगाः खत्री (द्वितीय) बनाम बिहार राज्य (9). इस मामले में न्यायालय ने कहा है कि वह जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के उल्लंघन के मामलों में राहत देने में असहाय नहीं होगा और उसे इन बहुमूल्य मौलिक अधिकारों को सही साबित करने के उद्देश्य से नए उपकरण और उपकरण बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए, यह भी संकेत दिया गया था कि गारंटीकृत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए निवारण के उपलब्ध साधन के रूप में राहत देने के लिए आवश्यक तथ्यों का पता लगाने के लिए आवश्यक जांच करने के लिए मामले के तथ्यों में उपयुक्त प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। जाहिरा तौर पर वर्तमान मामले में इसका ध्यान रखा गया है। दो पूछताछ की गई हैं, जिनसे तथ्यात्मक स्थिति का स्पष्ट रूप से पता लगाया जा सकता है। दोनों जांचों में पुलिस को लापरवाही का दोषी ठहराया गया है, जिससे दो लोगों की जान चली गई है, जिससे प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के अधिकारों के घोर उल्लंघन का पता चलता है। यूनियन कार्बाइड कॉर्प में। बनाम भारत संघ (10) भी, यह देखा गया है कि न्यायालयों को अपनी विधि विकसित करनी होगी और यदि न्यायालयों को लगता है कि असामान्य स्थिति, जो उत्पन्न हुई है और जिसके भविष्य में उत्पन्न होने की संभावना है, से निपटने के लिए दायित्व के एक नए सिद्धांत का निर्माण करना आवश्यक है, तो ऐसा कोई कारण नहीं है कि न्यायालय को दायित्व के ऐसे सिद्धांत को विकसित करने में संकोच करना चाहिए।

(22) नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 के अनुच्छेद 9 (5) से यह भी पता चलेगा कि मुआवजे का एक प्रवर्तनीय अधिकार गारंटीकृत अधिकार के प्रवर्तन की अवधारणा से अलग नहीं है। अनुच्छेद में कहा गया है, "जो कोई भी गैरकानूनी गिरफ्तारी या हिरासत का शिकार हुआ है, उसे मुआवजे का लागू करने योग्य अधिकार होगा। "
(23) अजब सिंह और एक अन्य बनाम U.P. राज्य के मामले में तथ्य। और अन्य, वर्तमान मामले में तथ्यों के करीब दिखाई देंगे। यह एक ऐसा मामला था जिसमें मृतक को जेल में रखा गया था और न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। जेल में रहते हुए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई। मौत का कारण सदमा और रक्तस्राव था, लेकिन जेल और पुलिस प्राधिकरण ने मनगढ़ंत स्पष्टीकरण दिया था। C.B I. ने केवल मामला दर्ज करने और जांच करने का निर्देश दिया गया था, बल्कि मृतक की मौत के लिए राज्य सरकार को कानूनी रूप से जिम्मेदार ठहराया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं को उसी के लिए मुआवजा देने के लिए उत्तरदायी पाया गया। रु. की राशि। पांच लाख का भुगतान मुआवजे के रूप में करने का निर्देश दिया गया था और यह L.R. के अधिकारों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना था। निजी विधि कार्यवाहियों में मुआवजे का दावा करना, यदि ऐसा करने का हकदार है।

(24) अतिरिक्त जिला न्यायाधीश से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर अभिरक्षा में हुई मृत्यु के लिए मुआवजे ने न केवल सीबीआई को सविंदर सिंह ग्रोवर की मृत्यु के मामले में आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया, बल्कि अदालत ने रुपये का भुगतान करने का भी निर्देश दिया। विधवा को अनुग्रह राशि के रूप में दो लाख। इस प्रकार, यह निष्कर्ष निकालना उचित है कि सार्वजनिक कानून की कार्यवाही के माध्यम से मुआवजा स्पष्ट रूप से उपलब्ध है और इस तरह से निर्देशित किया जा सकता है।

(25) अब अगला प्रश्न मुआवजे की मात्रा का है। इस न्यायालय की डिवीजन बेंच, फूहवती बनाम राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़) और अन्य ने मोटर वाहन अधिनियम में प्रदान की गई गुणक की एक विधि को अपनाया है और अभिरक्षा में मृत्यु के लिए मुआवजे का आकलन करने और देने के लिए इसे लागू किया है। श्रीमती सुधा रशीद और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में, मुआवजे का आकलन करने के लिए गुणक प्रणाली लागू की गई थी। यह स्थिति होने के कारण, इस संबंध में मुआवजे का आकलन करने के लिए इस विधि को उचित रूप से अपनाया जा सकता है।

(26) याचिकाकर्ताओं के वकील ने इंगित किया है कि मृतक, कम उम्र का होने और कहीं भी काम नहीं करने के कारण, दैनिक मजदूरी के रूप में न्यूनतम मजदूरी अर्जित कर रहा है। वकील के अनुसार, रु। 3, 700 दैनिक मजदूरी के लिए न्यूनतम मजदूरी है और दोनों मृतक की आयु को देखते हुए 17 का गुणक लागू किया जा सकता है। निर्भरता को ध्यान में रखते हुए और व्यक्तिगत खर्चों के लिए एक तिहाई को छोड़कर, मृतक की मासिक आय का आकलन रु। इस प्रकार, मुआवजे के लिए लगभग 2,500 रुपये का भुगतान किया जाएगा। प्रत्येक मामले में 5.00,000। तदनुसार, रु। न्याय के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मामले में याचिकाकर्ताओं को 5,00,000 का पुरस्कार दिया जाता है। मृतक परिवारों के सदस्य, i.e. याचिकाकर्ता इस मुआवजे को प्राप्त करने के हकदार होंगे, जो मुझे इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर प्रतिवादी राज्य द्वारा भुगतान किया जाएगा।
(27) इस प्रकार दोनों रिट याचिकाओं का उपरोक्त शर्तों में निपटारा किया जाता है।

अस्वीकरण: *स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा।*

अनुराग यादव
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
Trainee Judicial Officer
नारनौल, हरियाणा